पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
विविध अपील सं. 600/2016

==========

प्रवीण कुमार चौधरी पुत्र श्री रवींद्र चौधरी@रवींद्र कुमार चौधरी, ग्राम- चहुत बांधो-पेट्टी, थाना-बिस्फी, जिला मधुबानी के निवासी।

अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. अर्चना चौधरी पत्नी प्रवीण कुमार चौधरी, पुत्री राम कुमार झा, निवासी आनंदपुर सोहारा, थाना-अशोक पेपर मिल्स, जिला-दरभंगा, वर्तमान में अपने पिता राम कुमार झा के साथ फुलवारी-शरीफ, प्लॉट सं. बी/18 बिड़ला कॉलोनी, डाक,थाना फुलवारी शरीफ, जिला-पटना देवेंद्र शर्मा के घर में पुलिस चौकी के समीप।
2. राम कुमार झा पुत्र स्वर्गीय राम बल्लभ झा@राम बिलास झा, ग्राम-आनंदपुर सोहारा, थाना-अशोक पेपर मिल्स, जिला-दरभंगा के निवासी, वर्तमान में आपदा प्रबंधन विभाग, पुराना सचिवालय, पटना में सहायक, देवेंद्र शर्मा के घर, बिड़ला कॉलोनी, बी/18, डाक थाना फुलवारी शरीफ, जिला-पटना पुलिस चौकी के समीप।
3. सत्यम कुमार चौधरी नाबालिग पुत्र प्रवीण कुमार चौधरी, माता के संरक्षण के अंतर्गत अर्थात अर्चना चौधरी (प्रतिवादी ग्राम निवासी- फुलवारी-शरीफ, प्लाट सं. बी /18 बिड़ला कॉलोनी, डाक, थाना-फुलवारी-शरीफ,जिला-पटना देवेन्द्र शर्मा के घर में पुलिस चौकी के समीप।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री शंभू शरण सिंह, अधिवक्ता

==========

परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984--धारा 19(1)—अपीलकर्ता ने परिवार न्यायालय में क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के लिए एक याचिका दायर की, जिसे परिवार न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया— शब्द 'क्रूरता' को हिंदू विवाह

अधिनियम, 1955 में विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता उस चरित्र और आचरण का है जो दूसरे पति-पत्नी के मन में यह उचित चिंता उत्पन्न करता है कि यह हानिकारक और हानिकारक होगा— अपीलकर्ता ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी पत्नी के क्रूर व्यवहार को प्रतिवादी, प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य की शक्ति से साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता का भार साबित करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता पर है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक की राहत मांगी है— परित्याग के आधार पर विचार करने पर अपीलकर्ता की पत्नी ने उसे दो साल की एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए नहीं छोड़ा जो विवाह के विघटन का कानूनी आधार हो सकता है— परित्याग के आधार पर भी, अपीलकर्ता को तलाक का कोई निर्णय प्राप्त करने का अधिकार नहीं है— अपील में कोई मेरिट नहीं है जो आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाए— अपील खारिज, आक्षेपित निर्णय की पुष्टि की गई।

2007 (4) एससीसी 511; 1975 एआईआर 1534-- निर्भर किया गया ।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह

कैव निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. पीडी. सिंह)

तिथि - 19-03-2025

पक्षकारों को सुना

2. वर्तमान अपील पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली द्वारा तलाक वाद संख्या 33/2013/24/2010 में पारित दिनांक 27.04.2016 के निर्णय एवं डिक्री को चुनौती दी गई है, जिसके तहत क्रूरता एवं परित्याग के आधार पर विवाह विच्छेद पर तलाक की डिक्री के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत वैवाहिक वाद को खारिज कर दिया गया है।

3. पारिवारिक न्यायालय में दायर याचिका के अनुसार अपीलकर्ता का मामला यह है कि अपीलकर्ता का विवाह प्रतिवादी संख्या 1 अर्चना चौधरी के साथ दिनांक 09.03.2008 को हुआ था। विवाह के बाद अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 ने ग्राम-चहुटा (बांधोपट्टी) में सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद प्रतिवादी संख्या 1 का व्यवहार अपीलकर्ता-पति और अन्य ससुराल वालों के प्रति बदल गया और वह अपने ससुराल वालों और अपीलकर्ता के खिलाफ अपमानजनक और गंदी भाषा का प्रयोग करने लगी। जब अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 से अपने व्यवहार को सुधारने का अनुरोध किया, तो उसने आत्महत्या करने या जहर देने की धमकी दी। जुलाई, 2008 में, प्रतिवादी संख्या 2 (प्रतिवादी संख्या 1 का पिता) अपीलकर्ता के घर आया और प्रतिवादी संख्या 1 की *बिदागरी* के लिए उससे अनुरोध किया। प्रतिवादी संख्या 1 की *बिदागरी* के बाद, वह *मधुश्रावणी* उत्सव करने के लिए अपने गांव-*आनंदपुर, सोहोरा* चली गई। उत्सव के बाद, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 की *बिदागरी* के लिए अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 1 को उसके ससुराल गांव-*चहुटा (बंधोपट्टी)* भेजने से इनकार कर दिया और अपीलकर्ता-पति की सहमति के बिना उसे पटना में अपने सेवा स्थान पर ले गया। सौभाग्य से, 15.01.2009 को विवाह के बाहर एक लड़का पैदा हुआ। अपने पोते के *छठिहार* के अवसर पर अपीलकर्ता के पिता पटना

गए और प्रतिवादी संख्या 2 से *बिदगरी* की तिथि निश्चित करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने अपीलकर्ता के पिता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अपीलकर्ता को *बिदगरी* के लिए भेजने को कहा। इसके बाद अपीलकर्ता पटना में अपने ससुर के घर गए और प्रतिवादी संख्या 2 से बिदगरी की तिथि निश्चित करने का अनुरोध किया, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) को उसके साथ गांव भेजने से इनकार कर दिया। उसने गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए गाली-गलौज की और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ उसके ससुराल में रहने की पेशकश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने भी अपीलकर्ता के साथ रहने से इनकार कर दिया, जब भी उसने इसकी मांग की।

4. अंततः प्रतिवादी संख्या 1 अपीलकर्ता के साथ रहने को तैयार हो गई, लेकिन वह *चहुटा* गांव में रहने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसे दरभंगा में एक किराए के मकान में लाया गया। 21.06.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने चाचा, चाची और मां को बुलाया। उन्होंने अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों को गाली देना शुरू कर दिया और उन्हें घर छोड़ने के लिए कहा, जिस पर अपीलकर्ता के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपीलकर्ता की सास ने उसके बेटे को जबरदस्ती छीन लिया और कहा कि उसकी बेटी (प्रतिवादी संख्या 1) अपीलकर्ता के साथ नहीं रहेगी। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कृत्य और गतिविधियों से अपीलकर्ता को शारीरिक और मानसिक यातना मिली और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कृत्यों से समाज में अपीलकर्ता के परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसलिए अपीलकर्ता ने प्रार्थना की कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 के बीच विवाह को विघटित घोषित किया जाए और उसके पक्ष में तलाक का आदेश पारित किया जाए।

5. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि दिनांक 04.03.2010 को अपीलकर्ता ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत वैवाहिक मामला संख्या 24/2010 दायर किया था। उक्त मामले में प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 17.05.2010 को उपस्थित हुई थी और अपना कारण बताओ नोटिस दायर किया था। इसके बाद, 29.07.2010 को अपीलकर्ता की ओर से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर वैवाहिक मुकदमे को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा-13 के तहत दायर याचिका में परिवर्तित करने के लिए एक संशोधन आवेदन दायर किया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा 18.09.2010 को संशोधन आवेदन की अनुमति दी गई और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत मामले को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत तलाक के मामले में परिवर्तित करने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 28.6.2012 के आदेश के अनुसार विविध में पारित किया। क्षेत्राधिकार वाद संख्या 2712/2011 ने दोनों पक्षों की सहमति से तलाक वाद संख्या 24/2010 को विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, मधुबनी के न्यायालय से विद्वान प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, हाजीपुर, वैशाली के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था।

6. न्यायालय द्वारा जारी समन/नोटिस के प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी/प्रतिपक्षी उपस्थित हुए और अपना जवाब/लिखित बयान दायर किया।

7. अपने लिखित कथन/उत्तर में प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा है कि प्रतिवादी संख्या 1 का विवाह अपीलकर्ता के साथ 09.03.2008 को हिंदू अधिकार एवं रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ था। विवाह में उसके पिता (प्रतिवादी संख्या 2) ने 5 लाख रुपए खर्च किए थे। विवाह के बाद अपीलकर्ता और प्रतिवादी संख्या 1 पति-पत्नी

के रूप में रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद अपीलकर्ता सहित ससुराल पक्ष के परिवार के सदस्यों ने दहेज की मांग को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अंततः उसके पिता (प्रतिवादी संख्या 2) उसे अपने साथ ले गए। 15.01.2009 को विवाहेतर संबंध से एक लड़का पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता (प्रतिवादी संख्या 2) ने प्रसव के समय हुए सभी खर्च और अन्य खर्च वहन किए। अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 के पैतृक घर पर कभी भी बिदागरी के लिए नहीं आई। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलकर्ता द्वारा वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए दायर मामले में समझौता करने के बाद अपीलकर्ता के साथ उसके ससुराल चली गई, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के प्रति उसके ससुराल वालों का व्यवहार नहीं बदला और उन्होंने दहेज की मांग को लेकर प्रतिवादी संख्या 1 को धमकाना, गाली देना और मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 ने 16.08.2011 को विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, दरभंगा के समक्ष अपीलकर्ता और अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 498(ए) और धारा 3/4 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए शिकायत मामला संख्या 1518/2011 दायर किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलकर्ता को सहवास के लिए कभी मना नहीं किया और वह हमेशा अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार है, लेकिन यह अपीलकर्ता ही है जो प्रतिवादी संख्या 1 को अपने साथ नहीं रखना चाहता है।

8. दोनों पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस मामले में निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए:-

1. क्या तैयार किया गया मामला बनाए रखने योग्य है?

2. क्या याचिकाकर्ता के पास यह मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण है?

3. क्या विपक्षी पक्ष ने इस मामले की प्रस्तुति से पहले से दो साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है?

4. क्या विपक्षी पक्ष द्वारा याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता की गई थी?

5. क्या याचिकाकर्ता दावा किए गए राहत का हकदार है?

6. क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य राहत या राहतों का हकदार है?

9. मुकदमे के दौरान अपीलकर्ता की ओर से कुल पांच गवाह पेश किए गए, जिनमें पी.डब्लू. 1 प्रवीण कुमार चौधरी (अपीलकर्ता), पी.डब्लू. 2 मनोज ठाकुर, पी.डब्लू. 3 भोगेंद्र चौधरी, पी.डब्लू. 4 दशरथ कामत और पी.डब्लू. 5 रवींद्र चौधरी (अपीलकर्ता के पिता) शामिल हैं।

10. प्रतिवादी/ओपी की ओर से छह गवाह पेश किए गए हैं, जो हैं ओ.पी.डब्लू. 1 अर्चना चौधरी (पत्नी/प्रतिवादी नंबर 1), ओ.पी.डब्लू. 2 उदय चंद्र, ओ.पी.डब्लू. 3 सीताराम झा, ओ.पी.डब्लू. 4 विद्या नंद झा (प्रतिवादी नंबर 1 के चाचा), ओ.पी.डब्लू. 5 नवीन कुमार झा (प्रतिवादी नंबर 1 के भाई) और ओ.पी.डब्लू. 6 राम कुमार झा (प्रतिवादी नंबर 2)।

11. विचारण के समापन के बाद, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी ने यह साबित नहीं किया है कि उसे प्रतिवादी संख्या 1 के हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ा था और साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा परित्याग कर दिया गया था और अपीलार्थी द्वारा दायर किया गया मामला अनुरक्षण योग्य नहीं है और साथ ही अपीलार्थी के पास तत्काल मामला दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई वैध कारण नहीं है।तदनुसार, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि अपीलार्थी क्रूरता के साथ-साथ परित्याग के आधार पर तलाक की आज्ञप्ति का हकदार नहीं था और तदनुसार वाद खारिज कर दिया गया था।

12. तत्पश्चात्, वैवाहिक (तलाक) प्रकरण संख्या 33/2013 में निम्न न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित एवं असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

13. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री खराब है और ऐसा प्रतीत होता है कि विवेकपूर्ण विचार के बिना यंत्रवत् पारित की गई है। पत्नी-प्रतिवादी संख्या 1 ने 2009 से अपीलकर्ता को छोड़ दिया था। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 1 को उसके वैवाहिक घर में वापस लाने के कई प्रयास किए, लेकिन वह अपीलकर्ता के साथ वैवाहिक संबंध जारी रखने में इच्छुक नहीं थी। अपीलकर्ता मधुबनी जिले के *चहट्टआ (बाधोपट्टी)* गांव में रहता है और शादी के बाद वह प्रतिवादी संख्या 1 को अपने गांव के घर ले आया, लेकिन कुछ समय बाद प्रतिवादी संख्या 1 का व्यवहार अपीलकर्ता और ससुराल के अन्य सदस्यों के प्रति बदल गया और वह ससुराल वालों को उनके दैनिक कार्यों में परेशान करने लगी और अंततः जुलाई 2008 में वह अपने पिता (प्रतिवादी संख्या 2) को बुलाकर अपीलकर्ता या किसी अन्य परिवार के सदस्य की सहमति के बिना उनके साथ पटना चली गई। अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों ने मामले को सुलझाने के लिए सभी प्रयास किए और अंततः प्रतिवादी संख्या 1 इस शर्त पर अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए सहमत हो गई कि अपीलकर्ता दरभंगा में किराए पर घर ले लेगी क्योंकि वह अपीलकर्ता के साथ उसके गांव के घर में रहने के लिए तैयार नहीं थी। अपीलकर्ता ने दरभंगा में एक मकान किराए पर लिया, जहाँ प्रतिवादी संख्या 1 कुछ समय के लिए अपीलकर्ता के साथ रही और अंततः 21.06.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने परिवार के सदस्यों को बुलाया। वे दरभंगा में अपीलकर्ता के किराए के मकान पर आए और अपीलकर्ता और उसके अन्य परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके बेटे (प्रतिवादी संख्या 3) और प्रतिवादी संख्या 1 को भी

जबरन ले गए और झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। अपीलकर्ता के साथ रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलकर्ता के साथ कभी सहवास नहीं किया।

14. *इसके विपरीत,* प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित निर्णय और आज्ञप्ति न्यायसंगत और विधि के अनुसार है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की उचित सराहना की है और अपीलार्थी की ओर से दायर तलाक के वाद को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

15. प्रतिद्वंद्वी दलीलों, साक्ष्यों और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य बिंदु इस प्रकार हैंः .

(i) क्या अपीलार्थी अपनी याचिका/अपील में मांगे गए अनुतोष का हकदार है।

(ii) क्या प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, पटना का आक्षेपित निर्णय विधि की नजरों में न्यायसंगत, उचित और संधारण योग्य/मान्य है।

16. मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले, इस न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत दायर याचिका को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत याचिका में परिवर्तित करने के लिए सीपीसी के आदेश 6 नियम 17 के तहत दायर संशोधन याचिका स्वीकार्य है, क्योंकि इससे मामले की प्रकृति बदल जाएगी। शुरू में अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 9 के तहत एक याचिका दायर की थी, जिसमें प्रतिवादी-पत्नी की ओर से सभी कथित चूकों को माफ करते हुए वैवाहिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई थी और उसके बाद तलाक की मांग करके राहत में संशोधन की मांग की गई थी। ये दोनों दलीलें एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं और यदि उक्त संशोधन की अनुमति दी गई, तो तलाक का मामला दायर करने से पहले 2 साल का अनिवार्य अलगाव असंतुष्ट

रहेगा क्योंकि संशोधन धारा 9 के तहत याचिका दायर करने की तारीख से संबंधित होगा, जो अलगाव की तारीख से 2 साल से कम की तारीख को दायर किया गया था। अभिलेख से यह पता चलता है कि अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए अपीलकर्ता द्वारा 04.03.2010 को याचिका दायर की गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था कि विवाह 09.03.2008 को हुआ था। उक्त मामले में, प्रतिवादी-पत्नी ने उपस्थित होकर अपना लिखित बयान दर्ज कराया था। इसके बाद, 29.07.2010 को एक संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि धारा 9 के स्थान पर धारा 13 को प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपीलकर्ता और अन्य परिवार के सदस्यों के साथ क्रूरता के आधार पर वैवाहिक अधिकारों की बहाली की याचिका को तलाक की याचिका में परिवर्तित किया जा सके।

17. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 13, 13 ए और 14 के प्रासंगिक अंशों को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार हैं:-

> *"9. दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना - जब पति या पत्नी में से कोई एक, बिना किसी उचित कारण के, दूसरे के समाज से अलग हो जाता है, तो पीड़ित पक्ष जिला न्यायालय में याचिका द्वारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय, ऐसी याचिका में दिए गए कथनों की सत्यता से संतुष्ट होने पर और यह कि आवेदन को स्वीकार न करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश दे सकता है।*
>
> *स्पष्टीकरण- जहां यह प्रश्न उठता है कि समाज से अलग होने के लिए उचित कारण था या नहीं, उचित कारण साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने समाज से अलग होने का निर्णय लिया है।*

13. तलाक (1) कोई भी विवाह, चाहे इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में अनुष्ठापित हुआ हो। अधिनियम के अनुसार, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, तलाक की डिक्री द्वारा इस आधार पर पति-पत्नी को भंग किया जा सकता है कि -

i) विवाह संपन्न होने के बाद, अपने पति या पत्नी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वेच्छा से यौन संबंध बनाए हैं: या (ia) विवाह संपन्न होने के बाद, याचिकाकर्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया है; या (ib) याचिका प्रस्तुत करने से ठीक पहले कम से कम 2 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए याचिकाकर्ता को छोड़ दिया है; या

(ii) .....

स्पष्टीकरण- इस उपधारा में, अभिव्यक्ति "परित्याग" का अर्थ है विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा बिना किसी उचित कारण के और ऐसे पक्षकार की सहमति के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध याचिकाकर्ता का परित्याग, और इसमें विवाह के दूसरे पक्षकार द्वारा याचिकाकर्ता की जानबूझकर उपेक्षा शामिल है, और इसके व्याकरणिक रूपांतर और सजातीय अभिव्यक्तियों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(1ए) विवाह का कोई भी पक्षकार, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में संपन्न हुआ हो, इस आधार पर तलाक की डिक्री द्वारा विवाह के विघटन के लिए याचिका भी प्रस्तुत कर सकता है-

(i) कि किसी कार्यवाही में न्यायिक पृथक्करण की डिक्री पारित होने के बाद एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच सहवास की बहाली नहीं हुई है, जिसके वे पक्षकार थे; या

(ii) कि विवाह के पक्षकारों के बीच किसी कार्यवाही में, जिसमें वे पक्षकार थे, वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री पारित होने के पश्चात एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि तक वैवाहिक अधिकारों की कोई पुनर्स्थापना नहीं हुई है।

....

13ए. तलाक की कार्यवाही में वैकल्पिक राहत - इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में, तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए याचिका पर, सिवाय इसके कि याचिका धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ii), (vi) और (vii) में उल्लिखित आधारों पर आधारित हो, न्यायालय, यदि वह मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना न्यायसंगत समझता है, तो इसके स्थान पर न्यायिक पृथक्करण के लिए डिक्री पारित कर सकता है।

14. विवाह के एक वर्ष के भीतर तलाक के लिए याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी - (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी न्यायालय तलाक की डिक्री द्वारा विवाह विच्छेद के लिए किसी याचिका पर तब तक विचार नहीं कर सकेगा, जब तक कि याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से विवाह की तिथि से एक वर्ष बीत न गया हो।

18. यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह अपीलार्थी का मामला है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपीलार्थी के किराये के घर को 21.06.2010 को छोड़ दिया और अपनी माँ,चाचा और चाची के साथ चली गई। जिससे ज्ञात होता हैं कि 04.03.2010 को पुनर्स्थापना याचिका दायर करने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 अपीलार्थी के साथ गयी और अपीलार्थी के घर में पत्नी के रूप में वहाँ रहने लगी।इसलिए, पुनर्स्थापन

मामले में संशोधन के लिए याचिका दायर करने और पुनर्स्थापन मामले को तलाक के मामले में बदलने का अनुरोध करने से पता चलता है कि अपीलार्थी न्यायालय में शुद्ध अंतःकरण से नहीं आया था।इसलिए, केवल इसी आधार पर, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 1 के प्रावधान (1-बी) को देखते हुए वैवाहिक वाद अपरिपक्व प्रतीत होता है, जिसमें कहा गया है कि विवाह विच्छेद के लिए वाद दायर करने से पहले परित्याग करने वाला पक्ष दो साल से अलग रह रहा होगा।

19. यह सुस्थापित विधि है कि जब किसी भी तथ्य या अभिवचन में संशोधन करने की मांग की जाती है, जो मामले या वाद की प्रकृति को बदल देगा या बदलने की प्रकृति रखता है, तो विधि की नजर में इसकी अनुमति नहीं होगी।इस मामले में, इससे पहले अपीलार्थी ने वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मामला दर्ज किया था।यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के लिए संशोधित किए जाने वाले आधार उनके पास उपलब्ध थे,तो उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए याचिका क्यों दायर की थी। अपीलार्थी द्वारा इसका उत्तर नहीं दिया गया है और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत मामला दर्ज करने के समय कौन से नए तथ्य उनकी जानकारी में नहीं थे, उनका भी उल्लेख नहीं किया गया है।इसके अलावा, यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक देने के लिए संशोधित तथ्यों की अनुमति दी जाती है, तो यह वाद की प्रकृति को बदल देगा, जिसकी विधि की नजर में अनुमति नहीं है।इसलिए, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 से मामले को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में परिवर्तित करने की अनुमति और तदनुसार परिवर्तन विधि के अनुसार नहीं है और तदनुसार, यह अनुज्ञेय नहीं है।

20. जहाँ तक तलाक लेने के लिए क्रूरता के आधार का संबंध है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में 'क्रूरता' शब्द को विशिष्ट शब्दों और भाषा में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि क्रूरता ऐसे चरित्र और आचरण की है जो दूसरे जीवनसाथी के मन में एक उचित आशंका है कि प्रतिपक्ष प्रतिवादी के साथ रहना उसके लिए हानिकारक और नुकसानदेह होगा।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर घोष बनाम जया घोष 2007 (4) एस. सी. सी. 511 में प्रतिपादित के प्रमुख मामले में यह टिप्पणीत किया जाता है, कि कोई पति या पत्नी का निरंतर अनुचित आचरण और व्यवहार वास्तव में दूसरे पति या पत्नी के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।जिस उपचार की शिकायत की गई है और जिसके परिणामस्वरूप खतरा या आशंका बहुत गंभीर, पर्याप्त और भारी होनी चाहिए।अधिक मामूली चिड़चिड़ापन, झगड़ा, विवाहित जीवन का सामान्य नोक-झोंक जो दिन-प्रतिदिन के जीवन में होता है, मानसिक क्रूरता के आधार पर तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

22. इस संदर्भ में, हम नारायण गणेश दास्ताने बनाम सुचेता नारायण दास्ताने ए.आई.आर. 1975,1534 में प्रतिपादित मामले में निर्णय के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए सुनहरे टिप्पणियों को उद्धृत करने के लिए प्रलोभित हुए जाते हैं, जो इस प्रकार हैंः-

> *"एक अन्य मामला जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है, वह यह है कि यद्यपि धारा 10(1) (बी) के तहत याचिकाकर्ता की यह आशंका कि दूसरे पक्ष के साथ रहना हानिकारक या नुकसानदेह होगा, उचित होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आशंका के संदर्भ को छोड़कर, वैवाहिक संबंधों के निर्णय में लापरवाही के कानून के तहत एक उचित व्यक्ति की अवधारणा को आयात करना गलत है। पति-पत्नी से*

निस्संदेह यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने संयुक्त उद्यम को यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से संचालित करें, लेकिन क्रूरता के आरोप की जांच करने वाले न्यायालय का यह कार्य नहीं है कि वह विवाहित जीवन के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करे। कोई व्यक्ति दिन भर काम खत्म करने के लिए देर रात तक जागना चाहता है और कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर गोल्फ खेलना चाहता है। न्यायालय इन लोगों की आदतों या शौक के आधार पर यह परीक्षण नहीं कर सकता कि क्या समान स्थिति वाला एक उचित व्यक्ति भी इसी तरह का व्यवहार करेगा। "प्रश्न यह है कि क्या दुराचार तलाक के प्रयोजनों के लिए शिकायत की गई क्रूरता और इसी तरह की अन्य बातें मुख्य रूप से उस व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से निर्धारित होती हैं, जिसने ऐसी हरकतों की शिकायत की है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह आचरण किसी विवेकशील व्यक्ति या औसत या सामान्य संवेदना वाले व्यक्ति के लिए क्रूर होगा, बल्कि यह है कि क्या इसका पीड़ित पति या पत्नी पर ऐसा प्रभाव पड़ेगा। जो एक व्यक्ति के लिए क्रूर हो सकता है, उसे दूसरे व्यक्ति द्वारा हंसी में उड़ाया जा सकता है, और जो एक व्यक्ति के लिए एक परिस्थिति में क्रूर नहीं हो सकता है, वह दूसरी परिस्थिति में अत्यधिक क्रूरता हो सकती है। न्यायालय को आदर्श पति और आदर्श पत्नी (यह मानते हुए कि ऐसा कोई भी मौजूद है) से नहीं, बल्कि उसके सामने मौजूद विशेष पुरुष और महिला से निपटना होता है। आदर्श जोड़े या लगभग आदर्श जोड़े को शायद वैवाहिक न्यायालय में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भले ही वे अपने मतभेदों को स्पष्ट न कर पाएं, लेकिन उनके आदर्श व्यवहार उन्हें आपसी दोषों

और असफलताओं को अनदेखा करने या उन पर पर्दा डालने में मदद कर सकते हैं।

23. अपीलकर्ता-पति की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों का अध्ययन करने के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता-पति अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रतिवादियों के क्रूर व्यवहार को पुष्ट, सुसंगत और विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर साबित करने में विफल रहा है, जबकि क्रूरता साबित करने का भार इस मामले में अपीलकर्ता-पति पर है, क्योंकि उसने प्रतिवादी संख्या 1 के उसके प्रति क्रूर व्यवहार के आधार पर तलाक की राहत मांगी है। पारिवारिक न्यायालय के समक्ष दायर शिकायत में कथित क्रूरता की विशिष्ट तिथि के संदर्भ में एक भी घटना का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, पत्नी (प्रतिवादी संख्या 1) अभी भी अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए तैयार है। इसके अलावा, पति-पत्नी के दैनिक वैवाहिक जीवन में कभी-कभी कुछ तुच्छ कार्य या चूक या कुछ धमकी भरे और कठोर शब्दों का प्रयोग दूसरे पति-पत्नी को प्रतिशोध देने के लिए हो सकता है, लेकिन यह तलाक लेने के लिए न्यायोचित/स्थायी आधार नहीं हो सकता। कुछ तुच्छ कथन या टिप्पणी या एक पति-पत्नी द्वारा दूसरे को धमकी देना क्रूरता का ऐसा आदेश नहीं माना जा सकता, जो तलाक के आदेश के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है। स्वभाव और व्यवहार की कठोरता, व्यवहार की चिड़चिड़ाहट और भाषा की कठोरता अलग-अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले-बढ़े व्यक्ति, अलग-अलग जीवन स्तर, अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता और समाज में अपनी स्थिति के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

24. इस प्रकार, इस मामले के उपरोक्त सभी पहलुओं और दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता क्रूरता के आरोप को साबित करने में विफल रहा है, और प्रतिवादी के क्रूर व्यवहार के आदेश को तो

और भी कम साबित कर पाया है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(ia) के तहत तलाक के आदेश को मंजूरी देने के लिए कानूनी रूप से आवश्यक है।

25.जहां तक परित्याग के आधार का सवाल है, अपीलकर्ता-पति (पी.डब्लू.-1) के साक्ष्य में आया है कि अपीलकर्ता का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ विवाह 09.03.2008 को संपन्न हुआ था और विवाह के बाद वे पति-पत्नी के रूप में रहने लगे। जुलाई, 2008 में प्रतिवादी संख्या 2 अपनी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 1) को अपने साथ ले गया। 15.01.2009 को विवाह से एक पुत्र भी पैदा हुआ और छठियार के अवसर पर अपीलकर्ता (पी.डब्लू.2) के पिता वहां गए। पुनः अपीलकर्ता भी अपनी पत्नी (प्रतिवादी संख्या 1) को वापस लेने वहां गया। अपीलकर्ता (पी.डब्लू. 1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी बयान दिया कि समझौता होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 दरभंगा में अपीलकर्ता के किराए के मकान में चली गई, लेकिन 21 जून 2010 को वह फिर से अपीलकर्ता को छोड़कर अपनी मां, चाची और चाचा के साथ चली गई। अपीलकर्ता (पी.डब्लू. 1) का उपरोक्त बयान अपने आप में यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दो साल की काफी अवधि के लिए अपीलकर्ता को नहीं छोड़ा था, जो विवाह विच्छेद के लिए कानूनी आधार हो सकता है। इसलिए, परित्याग के आधार पर भी अपीलकर्ता तलाक का कोई आदेश पाने का हकदार नहीं है। इस प्रकार, अपीलकर्ता-पति यह साबित करने में भी विफल रहा है कि प्रतिवादी-पत्नी ने अपीलकर्ता-पति को छोड़ दिया है।

26. इसलिए, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती है, जिसके आधार पर विवादित निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मांग करने वाले अपीलकर्ता के वैवाहिक मामले को सही तरीके से खारिज कर दिया है।

27. तदनुसार, वर्तमान अपील, आक्षेपित निर्णय की पुष्टि करते हुए खारिज की जाती है।

(एस. बी. पीडी सिंह, न्यायमूर्ति)

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

शागीर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।